अपील सूचना अधिकार संख्या 20/2017 अनवानी प्रदीप दायमा पुत्र श्री जुगल किशोर निवासी वार्ड न0 6 पदमपुर रोड़, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
20/2017

11–04–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रदीप दायमा उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से 3 बिन्दुओ की सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु सं0 1 की सूचना तो उपलब्ध करवा दी गई है किन्तु बिन्दू सं0 2 व 3 की सूचना के संबंध में जो जबाब दिया गया है वही सही नही है। जो सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(जे)(1) एवं 2(जे)(3) की उल्लंघना है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी को निशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं उनके विरूद्ध सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रदीप दायमा ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 द्वारा आपको भेजे पत्र दिनांक 08.09.16 परिवाद एच–3706/16 के संबंध में:–

1. मूल शिकायत की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. शिकायत पर की गई कार्यवाही अथवा प्रगति रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. रिकार्ड का निरीक्षण।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 1531 दिनांक दिनांक 22.03.2017 प्रस्तुत किया है कि बिन्दु सं0 की सूचना अपीलार्थी को पत्र संख्या 1336 दिनांक 10.03.17 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दू सं0 2 व 3 की सूचना के संबंध बिन्दुवार प्रतिउत्तर उनके कार्यालय के पत्र सं0 1046 दिनांक 28.02.17 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को समय पर भिजवा दिया गया था। इसलिए अपील खारिज की जावे।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 1046 दिनांक 28.02.2017 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का जवाब
1. मूल शिकायत की प्रमाणित प्रतिलिपि।	कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 08.09.2016 परिवाद एच–3706/16 एवं शिकायती पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए इस कार्यालय में दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर कुल सात पृष्ठो के 14/–(अखरे चौदह रूपये मात्र) जमा करावें। ताकि आप द्वारा वांछित नकले/सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।
2. शिकायत पर की गई कार्यवाही अथवा प्रगति रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि।	वांछित सूचना जांच कार्यवाही से संबधित है जो सूचना की परिभाषा में नही आता है। अतः सूचना देय नही है।
3. रिकार्ड का निरीक्षण।	आप द्वारा जिस रिकार्ड/पत्रावली का निरीक्षण किये जाने का उल्लेख अपने सूचना आवेदन पत्र द्वारा किया गया है वह पत्रावली जांच कार्यवाही से संबधित है जांच कार्यवाही लोकसेवक एवं नियोक्ता के बीच का विश्वासाश्रित प्रकरण है। इसलिए विचाराधीन जांच प्रकरण की सूचना देना अथवा जांच पत्रावली का निरीक्षण करवाना उचित नही है। अतः राजस्थान सूचना आयोग के निर्णय दिनांक 15.09.2015 के अनुसार तथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वांछित सूचना देय नही है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन एवं अपीलार्थी के कथनानुसार बिन्दु सं0 1 से संबंधित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो चुकी है। अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 2 में शिकायत पर की गई कार्यवाही अथवा प्रगति रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि व बिन्दु सं0 3 में रिकार्ड का निरीक्षण करवाने के लिए आवेदन किया गया है जिसके संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार अपीलार्थी को उत्तर दिया गया है। बिन्दु सं0 2 में वांछित सूचना जांच कार्यवाही से संबंधित होने के कारण व सूचना की परिभाषा में नही आने से सूचना नही दी गई है एवं बिन्दु सं0 3 की सूचना भी जांच कार्यवाही से संबंधित होने के कारण माननीय राज0 सूचना आयोग के निर्णय दिनांक 15.09.2015 के अनुसरण में रिकार्ड का निरीक्षण नही करवाया गया है। माननीय राज0 सूचना आयोग के निर्णय दिनांक 15.09.2015 के अवलोकन से पाया गया कि, किसी लोक सेवक के खिलाफ शिकायत एवं जांच आदि की सूचना लोक सेवक एवं नियोक्ता के बीच विश्वासाश्रित प्रकरण है। सूचना का प्रकटन लोकहित में निहित नही है और ऐसी सूचना देय नही होने के कारण माननीय सूचना आयोग द्वारा अपील खारिज की गई है। इस प्रकार राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु सं0 2 व 3 की सूचना के संबंध में अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 28.02.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर एवं अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर